न्यायालयः—अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप.प्रक.कमाक—279 / 2015 संस्थित दिनांक—07.05.2015 फाई. क.234503003382015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

– –आरोपीगण

1.मुकेश पिता इंद्रलाल कावरे, उम्र–19 वर्ष,

2.इंद्रलाल पिता हंसलाल कांवरे, उमग्र 48 वर्ष दोनो निवासी ग्राम अचानकपुर, पुलिस चौकी सालेटेकरी, थाना बिरसा, जिला बालाघाट।

(आज दिनांक 11/12/2017 को घोषित)

/ / विरूद्ध

- 01— अभियुक्त मुकेश कावरे पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा—3/181, 146/196, 129/177, 39/192(1ए), 130(3)/177 का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 03.02.2015 को समय शाम लगभग 04:30 बजे ग्राम कोपेभाटा एवं रघोली के बीच मेन रोड पर अंतर्गत थाना बिरसा में वाहन मोटर सायकिल प्लेटिना काले रंग की जिसका चेचिस नंबर MD200JKZZPPLOO इंजन नंबर JKUBTL63828 है को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत ईश्वरी सेन को टक्कर मारकर साधारण उपहित कारित किया तथा आहत अश्वनी सादीपांच को टक्कर मारकर गंभीर उपहित कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना ड्राईविंग लायसेंस एवं वैध बीमा, रिजस्ट्रेशन एवं हेलमेट के चलाया तथा पुलिस अधिकारी को मौके पर रिजस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस प्रस्तुत नहीं किया। आरोपी इंद्रलाल कावरे ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना ड्राईविंग लायसेंस धारक से बिना वैध बीमा के चलवाया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ईश्वर सेन द्वारा दिनांक 03.02.15 को थाना बिरसा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि घटना दिनांक को वह अश्विनी सादीपांच की मोटरसायकल CG07F5109 जिसे अश्वनी चला रहा था से रघोली मेला से लौटते समय, सामने से आ रहे बजाज प्लेटिना बिना नंबर की मोटर सायिकल के चालक मुकेश कुमार कावरे ने अपनी मोटर सायिकल को तेज गित से लापरवाहीपूर्वक लहराते हुए लाकर फरियादी की मोटर सायिकल में टक्कर मार दिया, जिससे फरियादी ईश्वर सेन तथा अश्वनी सादेपांच अपनी मोटर सायिकल सहित सड़क पर गिर पड़े, जिससे दोनों को चोटें आयी। उक्त रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना दौरान अश्वनी सादेपांच की बेड हेड,

पीट व एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा-338 भा.दं.सं. का ईजाफा किया गया। विवेचना दौरान फरियादी एवं गवाहों के कथन लिये गये, घाटनास्थल का मौका नक्शा, जप्ती की कार्यवाही की गई। विवेचना दौरान आरोपी मुकेश कुमार कावरे से वाहन के कागजात मांगने पर न होना बताये जाने पर धारा-3/181, 146/196, 39/192(1)9, 129/172 एवं 5/180 मो.या.अधि. का प्रकरण में ईजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्मांक 17/15 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी मुकेश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा—3/181, 146/196, 129/177, 39/192(1ए), 130(3)/177 तथा आरोपी इंद्रपाल कावरे को मोटर यान अधिनियम की धारा—5/180, 146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत ईश्वर सेन एवं अश्विनी ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी मुकेश कावरे को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—337 एवं 338 के अपराध से दोषमुक्त किया गया। आरोपी मुकेश कावरे पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा—3/181, 146/196, 129/177, 39/192(1ए), 130(3)/177 तथा आरोपी इंद्रलाल कावरे पर मोटर यान अधिनियम की धारा—5/180, 146/196 शमनीय न होने से विचारण किया गया।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:--

- 1.क्या आरोपी मुकेश ने घटना दिनांक 03.02.2015 को समय शाम लगभग 04:30 बजे ग्राम कोपेभाटा एवं रघोली के बीच मेन रोड पर अंतर्गत थाना बिरसा में वाहन मोटर सायिकल प्लेटिना काले रंग की जिसका चेचिस नंबर MD200JKZZPPLOO इंजन नंबर JKUBTL63828 है को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- 2.क्या उक्त आरोपी मुकेश ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना ड्राईविंग लायसेंस, वैध बीमा एवं रजिस्ट्रेशन के चलाया ?
- 3.क्या आरोपी मुकेश ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना हेलमेट के चलाया ?
- 4.क्या आरोपी मुकेश ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर पुलिस अधिकारी को मौके पर रजिस्ट्रेशन, बीमा फिटनेस प्रस्तुत नहीं किया ?
- 5.क्या आरोपी इंद्रपाल ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना ड्राईविंग लायसेंसधारी से तथा बिना वैध बीमा के चलवाया ?

—:विवेचना एवं निष्कर्षः —

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 से 05:-

साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने तथा सुविधा की दृष्टि से सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- साक्षी ईश्वर अ.सा.०१ ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को 05-जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब तीन वर्ष पूर्व शाम करीब 5:00 बजे ग्राम रघोली (सालेटेकरी) के पास की है। घटना के समय वह अपने दोस्त अश्विनी के साथ मोटर सायकिल में आमगांव से ग्राम रघोली मेला देखने जा रहा था। रघोली के पास सामने से आ रहे वाहन को देखकर अश्विनी का नियंत्रण मोटर सायकिल से हट गया और उनकी मोटर सायकिल अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे उन दोनों को चोटें आई थी। घटना में उसे तथा अश्विनी को सिर के पास हल्की चोटें आई थी। घटना के बाद उन दोनों का ईलाज बिरसा अस्पताल में हुआ था। उसने घटना के संबंध में कोई शिकायत नहीं की थी और ना ही पुलिस को बयान दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि ध ाटना के समय आरोपी अपनी प्लेटिना मोटर सायकिल को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर सामने से उनकी मोटर सायिकल को ठोस मार दिया था, उसने घटना के संबंध में थाना बिरसा में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी, परंत् प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था, परंत् मौका नक्शा प्रदर्श पी.02 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल से काले रंग की बजाज प्लेटिना मोटर सायकिल बिना नंबर की क्षतिग्रस्त अवस्था में जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था. परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.03 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, उसका आरोपीगण से समझौता हो गया है इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उनकी मोटर सायकिल स्वयं अनियंत्रित होकर गिर गई थी तथा उसने पुलिस को आरोपी अथवा मोटर सायकिल का नाम नहीं बताया था।
- 06— साक्षी अश्वनी अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब तीन वर्ष पूर्व शाम करीब 5:00 बजे ग्राम रघोली(सालेटेकरी) के पास की है। घटना के समय वह अपने दोस्त ईश्वर के साथ मोटर सायिकल में आमगांव से ग्राम रघोली मेला देखने जा रहा था। रघोली के पास सामने से आ रहे वाहन को देखकर उसका नियंत्रण मोटर सायिकल से हट गया और उनकी मोटर सायिकल अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे दोनों को चोटें आई थी। घटना में उसे तथा ईश्वर को सिर के पास हल्की चोटें आई थी। घटना के बाद उन दोनों का ईलाज बिरसा अस्पताल में हुआ था। उन्होंने घटना के संबंध में कोई शिकायत नहीं की थी और ना ही पुलिस को बयान दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी

फाईलिंग क.234503003382015

अपनी प्लेटिना मोटर सायकिल को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर सामने से उनकी मोटर सायिकल को ठोस मार दिया था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.04 पुलिस को देने से इंकार किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उनकी मोटर सायकिल स्वयं अनियंत्रित होकर गिर गई थी तथा उसने पुलिस को आरोपी अथवा मोटर सायकिल का नाम नहीं बताया था।

प्रकरण में फरियादी / आहत ईश्वर अ.सा.01 तथा आहत अश्विनी 07-अ.सा.02 ने घटना से स्पष्ट इंकार कर यह व्यक्त किया है कि उनकी मोटर सायकिल स्वयं अनियंत्रित होकर गिर गई थी। प्रकरण में फरियादी/आहत ईश्वर द्वारा आरोपीगण से राजीनामा कर लिया गया है। प्रकरण में आरोपित अपराधों के संबंध में अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त मुकेश कावरे ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना ड्राईविंग लायसेंस, वैध बीमा, रजिस्ट्रेशन एवं हेलमेट के चलाया तथा पुलिस अधिकारी को मौके पर रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस प्रस्तुत नहीं किया तथा आरोपी इंद्रलाल कावरे ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना ड्राईविंग लायसेंसधारी से बिना वैध बीमा के चलवाया। फलतः अभियुक्त मुकेश कावरे को भा.दं0सं0 की धारा–279 एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा—3 / 181, 146 / 196, 129 / 177, 39 / 192(1ए), 130(3) / 177 तथा अभियुक्त इंद्रपाल को मो.व्ही. एक्ट की धारा–5 / 180, 146 / 196 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। 08-

प्रकरण में जप्तश्दा वाहन वाहन मोटर सायकिल प्लेटिना काले रंग की जिसका चेचिस नंबर MD200JKZZPPLOO इंजन नंबर JKUBTL63828 थाने में सुरक्षार्थ रखा गया है। उक्त वाहन अपील अवधि पश्चात वाहन के पंजीकृत स्वामी को नियमानुसार दिया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश पालन किया जावे।

अभियुक्तगण विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहे है, इस संबंध में धारा–428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / –

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही 🖊 🗕

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)